निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
निकट–नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून
दूरभाष नं0 0135–2775813, 814 फैक्स नं0 2775816 ई0मेलः dir.icds.ua@gmail.com

पत्र संख्या सी–3041 /बजट/2020-21 दिनांक 23 मार्च,2021

1–निदेशालय/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड,देहरादून।
2–समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड,।
3–समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषयः वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु धनावंटन।

शासनादेश संख्या 530/XVII(4)/2021-2(06)/2020, दिनांक 22.03.2021 के द्वारा अनुदान संख्या–15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू0 9425000/- (रू0 चौरान्वे लाख पच्चीस हजार मात्र) एवं शासनादेश संख्या 408/XVII(4)/2020-2(6)/2020 दिनांक 24-04-2020 के द्वारा अनुदान संख्या–15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू0 2380271000/- (रू0 दो अरब अड़तीस करोड़ दो लाख इक्हत्तर हजार मात्र) इस प्रकार कुल रू0 2394141000/- (रू0 दो अरब उनतालीस करोड़ इक्तालीस लाख इक्तालीस हजार) मात्र के सापेक्ष वर्तमान आंवटन रू0 18747660 /- (रू0 एक करोड़ सतासी लाख सैतालीस हजार छः सौ साठ मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर संलग्न विवरण के अनुसार निम्न् शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती हैः–

शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् हैं :–

1. मानक मद 02–मजदूरी के अन्तर्गत ऐसे श्रमिकों और कर्मचारियों की मज़दूरी/पारिश्रमिक सम्मिलित है जिन्हें इस समय आकस्मिक व्यवस्था से भुगतान किया जाता है।
2. मानक मद 04–यात्रा व्यय, मानक मद 09–चिकित्सा प्रतिपूर्ति के योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि से केवल लिपिक, संगणक, वाहन चालक तथा चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के देयकों का ही भुगतान किया जाय।
3. मानक मद 08–पारिश्रमिक के अन्तर्गत संविदा/अनुबन्ध अथवा बाहय सेवा प्रदाता एजेन्सी(उपनल/पी0आ0डी0) के माध्यम से नियोजित कार्मिक जिन्हें नियमित/स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियोजित किया गया है। इस पर होने वाले व्यय सम्मिलित होंगे बशर्ते पूर्व में इन्हें किसी अन्य मानक मद से भुगतान किया जाता रहा हो।
4. मानक मद–20 लेखन सामग्री एवं छपाई के अन्तर्गत कार्यालय में उपयोगार्थ फार्मों की छपाई और अन्य लेखन सामग्री क्रय (कम्प्यूटर स्टेशनरी सहित) की व्यवस्था सम्मिलित होगी। इसके साथ ही साथ प्रिन्टर रिबन, कॉर्टेज आदि पर होने वाले व्यय भी इसमें सम्मिलित होगा।
5. मानक मद 21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के अन्तर्गत कार्यालय फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण जैसे फोटो कॉपियर, फैक्स, टेलीविजन, ई0पी0बी0 एक्स (इण्टरकॉम), आई0पी0 फोन, वाटर कूलर/आर0ओ0 का क्रय आदि से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित है।
6. मानक मद 22–कार्यालय व्यय अन्तर्गत किसी कार्यालय को चलाने के लिये अपेक्षित आकस्मिक व्यय अर्थात डाक व्यय,साज–सज्जा की खरीद,जनरेटर के डीजल आदि पर व्यय,कार्यालय में स्थापित मशीनों/उपकरणों का अनुरक्षण/वार्षिक अनुरक्षण से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित है। इसके साथ ही अर्न्तविभागीय बैठकों,कान्फ्रेन्सों आदि में दिये जाने वाले जलपान से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होगें।
7. मानक मद 23–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व के अन्तर्गत किराये पर लिय गये भवनों का किराया, स्थानीय निकाय तथा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा उपशुल्क और कर आदि का भुगतान सम्मिलित है। इसमें भूमि के पट्टे पर व्यय का भुगतान भी सम्मिलित हैं।
8. मानक मद 24– विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय के अन्तर्गत कार्यालय सहिता और नियम संग्रह, और अन्य मूल्य सहित और बिना मूल्य लेख्यों के मुद्रण पर होने वाला व्यय एवं अभिकर्ताओं का कमीशन और विज्ञापन सामग्री की छपाई से सम्बन्धित व्यय भी सम्मिलित होगा। इसके अतिरिक्त विभीय प्रकाशन पर होने वाले व्यय सम्मिलित होंगे।
9. मानक मद 26– कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर व अनुरक्षण के अन्तर्गत कम्प्यूटर सम्बन्धी हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एवं पेरीफिरल प्रोजेक्ट, डिस्पले पैनल आदि का क्रय व अनुरक्षण/वार्षिक अनुरक्षण सहित व्यय किया जायेगा।
10. मानक मद 27– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान अन्तर्गत विधिक/विशेषज्ञ सेवा से सम्बन्धित व्यय परामर्श सेवाओं एवं कन्सलटेन्सी से सम्बन्धित व्यय जैसे विधिक,एकान्उटिंग,आर्किटेक्ट तथा अन्य विभिन्न परीक्षाओं के संचालन के लिये परीक्षको और कक्ष निरीक्षकों आदि को देय पारिश्रमिक,विभिन्न परीक्षण संस्थानों के गेस्ट स्पीकरों को देय मानदेय से सम्बन्घित व्यय सम्मिलित

निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
निकट–नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून
दूरभाष नं0 0135–2775813, 814 फैक्स नं0 2775816 ई0मेलः dir.icds.ua@gmail.com

होगें। इसके साथ ही बाहय सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर ली गयी सेवाओं पर होने वाले व्यय (सफाई व्यवस्था,सुरक्षा व्यवस्था अथवा बागवानी सम्बन्धित सेवाओं) सम्मिलित होगें।

(**नोट**– आउटसार्स पर नियोजित कार्मिको के मानदेय/ किराये पर लिये गये अनुबन्धित वाहनों से सम्बन्धित व्यय इस मानक मद से किसी भी दशा में नहीं किये जायेगें।)

11. मानक मद 30– अतिथ्य व्यय के अन्तर्गत अनुमन्य आतिथ्य व्यय/मनोरंजन भत्ते सम्मिलित है।
12. मानक मद 40– मशीन उपकरण, सज्जा और संयत्र के अन्तर्गत विभिन्न शासकीय अधिष्ठानों/चिकित्सकीय अधिष्ठानों के लिए विभिन्न उपकरणों एंव संयत्र के कय एवं उनके अनुरक्षण आदि से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होगे।
13. मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय **कन्टीजैन्सी मद में मितव्ययता से नियमानुसार व्यय किया जायेगा।**
14. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय संलग्नक के अनुसार विभिन्न मदों पर मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय उसी मद में व्यय किया जायेगा, जिसके लिए आवंटित की गयी है। नई मद हेतु कदापि व्यय नहीं किया जायेगा। प्रत्येक माह की 02 तारीख तक बी0एम0–08 नियमानुसार निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
15. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2017 तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
16. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनु0सं0–15 के लेखाशीर्षक 2235-02-102-15-00 के अन्तर्गत संलग्नक में निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः– यथोपरि।

(संजीव कुमार सिंह)
वित्त नियंत्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- मुख्य कोषाधिकारी,साईबर कोषागार,देहरादून।
3- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4- गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक
वित्त नियंत्रक
सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून